रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082021-229312
CG-DL-E-31082021-229312

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 490] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 31, 2021/भाद्र 9, 1943
No. 490] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 31, 2021/BHADRA 9, 1943

## वित्त मंत्रालय

**(राजस्व विभाग)**

**(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)**

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2021

**आय-कर**

**सा.का.नि. 604(अ).**—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 10 के खंड (11) के पहले परन्तुक और धारा 10 के खंड (12) के पहले परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. **संक्षित नाम और प्रारंभ.–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (पचीसवाँ संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2022 से प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 में नियम 9ग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"9घ-- **भविष्य निधि या मान्यताप्राप्त उपबंधित निधि में अंशदान से संबंधित कराधेय ब्याज की गणना विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक होना** – (1) धारा 10 के खंड (11) और (12) के पहले और दूसरे परन्तुक के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती वर्ष (जिसे इसके पश्चात् इस नियम में चालू पूर्ववर्ती वर्ष कहा गया है) के दौरान प्रोद्भूत ब्याज के द्वारा

आय की, जिसमें उक्त खंड के अधीन किसी व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित होने से छूट प्राप्त नहीं है, कराधेय अंशदान खाते में पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रोद्भूत ब्याज के रूप में संगणना की जाएगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन कराधेय की ब्याज की गणना के प्रयोजन के लिए भविष्य निधि खाते में पृथक् खाते पूर्ववर्ती वर्ष 2021-2022 और व्यक्ति द्वारा किए गए कराधेय अंशदान और गैर-कराधेय अंशदान के लिए सभी पश्चात्वर्ती पिछले वर्शों के दौरान रखे जाएंगें।

**स्पष्टीकरण :-** इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

(क) गैर-कराधेय अंशदान खाता निम्नलिखित का संकलित होगा, अर्थात्:-

(i) 31 मार्च, 2021 को खाते में अंतिम अतिशेष;

(ii) पूर्व वर्ष 2021-2022 और पश्चात्वर्ती वर्ष के दौरान खाते में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई अंशदान जिसमें कराधेय अंशदान खाता शामिल नहीं है; और

(iii) उप-खंड (i) और उप-खंड (ii) पर प्रौद्भूत ब्याज;

जो ऐसे खाते से निकासी द्वारा घटा दिया गया, यदि कोई हो

(ख) कराधेय अंशदान खाता निम्नलिखित का संकलित होगा, अर्थात्:-

(i) पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22 और पश्चात्वर्ती वर्ष के दौरान खाते में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई अंशदान जिसमें अवसीमा का अधिक्य है; और

(ii) उप-खंड (i) पर प्रौद्भूत ब्याज;

जो ऐसे खाते से निकासी द्वारा घटा दिया गया, यदि कोई हो; और

(ग) अवसीमा से अभिप्रेत है:

(i) पांच लाख रूपए, यदि धारा 10 का खंड (10) या (12) का दूसरा परन्तुक लागू होता है; और

(ii) अन्य मामले में दो लाख पचास हजार रूपए।"

[अधिसूचना सं. 95./2021/फा. सं. 370142/36/2021-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव (कर नीति और विधान प्रभाग)

**टिप्पण :** मूल नियम, संख्या का.आ. 969(अ) तारीख, 26 मार्च, 1962 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि 578(अ) तारीख 18 अगस्त, 2021 द्वारा अंतिमबार संशोधित किए गए थे।